कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-37/2016-17/

दिनांक : /11/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- बाजपुर

जिला- उधमसिहं नगर

विषय : क्षेत्र पंचायत बाजपुर का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **03** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 37/2016-17/ **दिनांक: /11/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, पिथौरागढ़।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी, बाजपुर (उधमसिंह नगर) पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्रीमती किशोरी देवी - प्रमुख, क्षेत्र पंचायत

(ii) श्री जगतराम आर्य प्रभारी खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री के.बी. गुरुंग, पर्यवेक्षक

(ii) श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ.

(iii) श्री एल.एस. लिंगवाल, स.ले.प.अ.

(iv) श्री एस.के. त्यागी, व.ले.पे.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 17.08.2016 से 26.08.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं. बाजपुर,** जनपद **उधमसिंह नगर**

(अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायतो तथा ग्राम पंचायतों की संख्या है तो:-57

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-57

भौगोलिक क्षेत्र :-- 29012 वर्ग कि.मि

जनसंख्या : 10,20,63

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 06

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक: 05

5- कर्मचारियों की संख्या : 28

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - आवासीय भवन, भूखण्ड, कार्यालय भवन

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- -

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय -व्यय विवरण के अनुसार

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- बाजपुर, जनपद- उधमसिंह नगर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस.के. त्यागी, व.ले.प.अ., श्री एल. एस. लिंगवाल एवं श्री अर्जुन सिंह तोमर स.ले.प.अ. एवं श्री के.बी. गुरुंग पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 17.08.2016 से 26.08.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग 4(ब)-1**	**प्रस्तर भाग 4(ब)-2**
अप्रस्तुत		

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: -

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:- i) इन्दिरा योजना से सम्बन्धित अभिलेख

ii) रा.वि.आ. द्वारा संक्रमित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की सूची व अन्य अभिलेख।

भाग 4 (ब) II

प्रस्तर-1(अ) शासकीय निर्देशो के विपरीत विधायक निधि के अन्तर्गत विगत वर्षो की अवचनबद्ध धनराशि रू 14.92 का अवरूद्ध रहना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मई, 2014 में विधायक निधि के अन्तर्गत पिछली विधान सभाओं की मय ब्याज अवचनबद्ध धनराशि जो अब व्यय की जानी संभव नही थी, को सम्बन्धित लेखा शीर्षो के अन्तर्गत राजकोष में जमा किये जाने के निर्देश दिये थे। इसके पूर्व मई 2013 में सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा विधायक निधि की पूर्ण योजनाओं के सापेक्ष बचत धनराशि व अर्जित ब्याज राशि को भी राजकोष में जमा किये जाने के निर्द्धेश दिये थे।

विकास खण्ड बाजपुर के विधायक निधि से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान संज्ञान में आया कि नई विधान सभा गठन के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रारम्भ में विधायक निधि में रू0 27.36 लाख का शेष था। सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में इस निधि में रू0 207.37 लाख (रू0 0.44 लाख पुरानी विधायक निधि से सम्बन्धित) की प्राप्ति हुई थी जिसके सापेक्ष रू0 93.39 लाख (रू0 17.34 लाख पुरानी विधायक से सम्बन्धित) का भुगतान इस निधि से किया गया था। स्पष्ट है कि वर्ष के अन्त में अवशेष राशि रू0 141.35 लाख मे रू0 10.46 लाख (रू 27.36+0.44–17.34 लाख) पिछली विधायक निधि की अवचनबद्ध राशि मय ब्याज के शामिल थी। वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान विधायक निधि की स्वीकृति 163 योजनाओ में वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 3.03 लाख व वर्ष 2015–16 में रू0 13.61 लाख की बचत हुई थी जिनमें से रू0 12.18 लाख का भुगतान विभिन्न योजनाओ पर किय जाना शेष था। अतः उक्त दोनो वर्षो में पूर्ण योजनाओ पर रू0 4.46 लाख (रू0 3.03+13.61–12.18 लाख) की बचत हुई थी।

इस प्रकार, विकास खण्ड द्वारा शासकीय निर्देशों के विपरीत रू0 14.92 लाख (रू0 10.46+4.46 लाख) को राजकोष में जमा न कर संदर्भित धनराशि का अनावश्यक अवरोधन किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर विकास खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि सदर्भित राशियो में से कोई भी राशि राजकोष में जमा नही करायी गयी थी। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड के पास कोई सूचना नही थी। पुनः निर्देष प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही था क्योकि शासकीय निर्देशों की जानकारी का अभाव विभागों को शासकीय निर्देशों की अवहेलना का अधिकार प्रदान नहीं करती।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब) II

प्रस्तर 2- सामान्य भविष्य निधि खातों का रख–रखाव नियमानुसार न किया जाना।

सामान्य भविष्य निधि खातों का रख–रखाव सही तरीके से नियमानुसार रखना अत्यंत आवश्यक है।

इकाई में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के सा0भ0निधि से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि :

1– श्री दिनेश चन्द्र जोशी खाता संख्या CPU/32213 द्वारा वर्ष 2012–13 में लिए गए अस्थाई अग्रिम रू0 5.00 लाख जिसकी वसूली 34 किश्तों में (33x15000+1x5000) होनी थी, किन्तु भविष्य निधि पुस्तिका में वसूली (34x15000+1x5000) कुल रू 5.15 लाख अंकित की सई थी, साथ ही उनके खाते में वर्ष 2014–15 में वसूली (आहरण की) का योग रू 180,000 के स्थान पर मात्र रू 1,35,000 अंकित किया गया था जो कि रू 45000 कम था।

2–श्री हरिकेश खाता संख्या CPU/53220 के भविष्य निधि खाते में वित्तीय वर्ष 2015–16 के अभिदानों का योग रू 77075 होना चाहिए था किन्तु भविष्य निधि पुस्तिका में अभिदानों का योग रू 7000 अधिक (रू 84075/–) दर्शाया गया था जो कि त्रुटिपूर्ण था।

3–श्री नारायण सिंह पत्र वाहक की भविष्य निधि पुस्तिका में :

(I)वर्ष 2014–15 में अभिदानों का योग रू 74643/– दर्शाया गया है जबकि वास्तव में योग रू 71643/– (41643 अभिदान +30000 वापसी) होना चाहिए था।

(II) वर्ष 2015–16में श्री नारायण सिंह के खाते में ब्याज़ की गणना भी त्रुटि पूर्ण थी, अभिदाता के पूर्ण शेष एवं अभिदान + वापसी के योग पर वास्तविक ब्याज 30946/- होना चाहिए था जो कि भविष्य निधि पुस्तिका में 53068/- आंकी गई है जो कि वास्तविकता से 22122/- अधिक था।

4. श्री प्रताप स्वच्छक/चौकीदार की भविष्य निधि पुस्तिका में वर्ष 2015-16 में 2000/- की दर से 13 कटौतियां दर्शाई गई है जबकि मासिक कटौतियां 12 होनी चाहिए थी साथ ही कुल योग भी 28620/- दर्शाया गया था जो कि त्रुटिपूर्ण था।

5. श्री काशीनाथ खाता सं. CPU/53667 के भविष्य निधि खाते में वर्ष 2014-15 का योग 42474/- के स्थान पर 44474/- दर्शाया गया है जो कि 2000/- अधिक था।

6. श्री कमलेश कुमार काण्डपाल खाता संख्या CPU/48230 की भविष्य निधि पुस्तिका में वर्ष 2014-15 का अंतिम शेष 2,68,884/- था जबकि वर्ष 2015-16 अंतिम शेष 2,68,884/- था जबकि वर्ष 2015-16 का प्रारंभिक शेष 2,68,884/- के स्थान पर 2,67,774/- दर्शाया गया था जो कि वास्तविक धनराशि से 1110/- कम था।

7. श्री ललित मोहन आर्य खाता संख्या संख्या CPU/36642 के द्वारा वर्ष 2012-13 में अहिरित किए गए अस्थाई अग्रिम 2.50 लाख के सापेक्ष कुल वसूली 2.52 लाख की गई थी।

8. उपरोक्त त्रुटियों के समाधान हेतु काई लेजर व ब्राडशीट भी इकाई में तैयार नहीं की गई थी।

उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई का उत्तर था कि उक्त कमियों को वेतनशीट व पासबुक से मिलान कर निस्तारण किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाई द्वारा किसी भी प्रकार की भविष्य निधि पंजिका एवं लेजर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था जिससे कि भविष्य निधि पुस्तिका के इन्द्राजों का मिलान किया जा सके।

अतः विभागीय लापरवाही/उदासीनता के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों का रख-रखाव सही प्रकार से नहीं रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग-4 ब II

प्रस्तर-1(ब)- ब्याज प्राप्ति की धनराशि रू 8.59 लाख को राजकोष में जमा न करना।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्य-347/वि.आ.नि.दे.(तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतो से प्राप्त धनराशि जो कि लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण बैंकों में जमा रहती है पर अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र राजकोष में जमा करा देना चाहिये।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि इकाई को वर्ष-2014-15 एवं 2015-16 के दौरान विभिन्न बैंक खातों में जमा धनराशि पर रू 8.59 लाख ब्याज के रुप में प्राप्त हुए थे जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा नहीं किया गया था।(विवरण संलग्न)

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई का उत्तर था कि ब्याज प्राप्ति की धनराशि को शीघ्र ही राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ब्याज प्राप्ति की धनराशि को यथाशीघ्र राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए था।

अतः रू 8.59 लाख ब्याज प्राप्ति की धनराशि को राजकोष में जमा न करने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4 (ब)II

प्रस्तर-3 विभाग द्वारा 35.00 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावलियों का रख-रखाव सही तरीके से न करना।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो को मुख्य मार्गों (सड़को) से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मेरा गांव मेरी सड़क योजना प्रारंभ की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बाजपुर विकास खण्ड हेतु भी इस योजना के अन्तर्गत दो योजनाएं स्वीकृत की गई थी।

1. बेरिया दौलत के कल्याण पुरी से तोता वेरिया को संपर्क मार्ग एवं (2) बरहैनी में चनकपुर से भटपुरी को सी.सी. रोड़ निर्माण

   दोनों ही योजनाओं की स्वीकृत लागत 35.00 लाख प्रति योजना थी। उक्त धनराशि में से 17.50 लाख राज्य मद एवं 17.50 लाख मनरोगा मद से व्यय किये जाने थे। दोनों कार्यों से संबंधित पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

   1. दोनों कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति का ठेका में कय्यूम अली को क्रमश: 17.33 लाख एवं 17.50 लाख में दिया गया था उक्त धनराशि की सामग्री आपूर्ति हेतु मैं. कय्यूम द्वारा जो बिल (व्हाउचर) उपलब्ध कराए गए थे उनका क्र. सं. एवं दिनांक इस प्रकार थेः-

      प्रथम कार्य हेतु जार व्हा. क्र. 160.161.162 एवं 163 क्रमशः
      5.5.15,7.5.15,8.5.15 एवं 9.5.15 को जबकि क्र. सं. 164 एवं 165 एक माह पहले क्रमशः दिनांक 5.4.15 एवं 6.4.15 को काटे गये थे। साथ ही व्हाउचरों पर भुगतान संबंधी कोई टिप्पणी अंकित नही की गई थी एवं न ही पत्रावली में भुगतान संबंधी कोई अभिलेख ही उपलब्ध थे, जिससे व्हाउचरों की प्रमाणिकता संदेहास्पद प्रतीत हो रहे थी।
   2. दोनों ही प्रकरणों में रू 35000/- धरोहर की राशि जमा कराना आवश्यक था किन्तु धरोहर की धनराशि जमा कराने संबंधी कोई भी प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नहीं थें।
   3. दोनों ही प्रकरणों में सामग्री की आपूर्ति (सप्लाई) हेतु आपूर्तिकर्ता को दिनांक 04.4.15 को लिखे पत्रों पर किसी के भी हस्ताक्षर मौजूद नहीं थे।

4. दोनों ही याजनाओं से संबंधित पत्रावलियों में ऐसे कोई भी अभिलेख (प्रमाण) नही पाये गये थे जिससे ज्ञात हो सके कि उक्त कार्य पूर्ण हो चुके थे, जबकि राज्य मद से स्वीकृत धनराशि 17.50 लाख दोनो ही योजनाओं में व्यय हो चुके थे।
5. उक्त योजनाओं पर मनरेगा अंश से व्यय संबंधी कोई भी टिप्पणी या अन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं थे।
6. दोनों ही पत्रावलियों में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र या कार्य स्थल की कोई भी फोटो चस्पा नहीं थे।
7. ग्राम विकास अधिकारियों को कार्योदेश जारी करते समय बिन्दु क्रम 10 में स्पष्ट किया गया था कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर निर्मित कार्य का पूर्ण विवरण ग्राम विकास अधिकारी की परिसम्पत्ति पंजिका में अंकित करते हुए, अंकन का प्रमाण पत्र पत्रावली में सुरक्षित रखने हेतु प्रस्तुत करना होगा, किन्तु इस आशय का कोई भी प्रमाण-पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया था।
8. द्दितीय कार्य हेतु आमंत्रित टेण्डरों के तुलनात्मक विवरण पर भी खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नही पाये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त कमियों की और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अस्पष्ट सा उत्तर दिया गया कि कार्य की अधिकता के कारण अभिलेखों का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जा सका था किन्तु शासकीय धन से सम्बन्धित कोई अनियमितता नहीं है। लेखा परीक्षा द्वारा वांछित समस्त अभिलेख मनरेगा विभाग से प्राप्त कर फाईल (पत्रावली) में संग्रहीत कर लिया जाएंगे तथा अगली लेखा-परीक्षा को समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जायेंगे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यदि उक्त कार्य पूर्ण थे तो कार्य पूर्ण होने संबंधी समस्त अभिलेख पत्रावली में संलग्न होने चाहिए थे एवं समस्त आवश्यक पत्रों/अभिलेखों पर दिनांक सहित भेजने वाले के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए थे।

अतः पत्रावलियों का रख-रखाव सही प्रकार से न होने के कारण 35.00 लाख के व्यय का संदेहास्पद प्रतीत होने संबंधी प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग-4- अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खण्ड विकास अधिकारी, बाजपुर जनपद- उधमसिहं नगर** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी.-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था. निकाय